

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 18/02/13 से 25/04/13 तक

RTPS APPLICATION NO.: - 0263/18.02.13

आदेश पत्रक:

जिला - पटना

केश का प्रकार:- दाखिल खारीज हल्का-03 दाखिल खारीज बाद सं० 25 / 2013-2014

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि												
8/02/13	<p>श्री/श्री मती <u>पवन कुमार माथुरी</u> पिता/पति <u>श्री युवराज प्रसाद</u> ग्राम <u>न्यू बंगाली रोड़ा</u> पो० <u>जी०पी०३१०</u> थाना <u>मठकपुर</u> जिला <u>पटना</u> दिनांक <u>18.02.13</u> को केवाला सं० <u>1483</u> व <u>19915</u> दिनांक <u>08.06.12</u> व <u>04.04.12</u> के / सुव्यवहार के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है</p> <table border="1" data-bbox="215 806 1337 929"> <thead> <tr> <th>मौजा का नाम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हरियापुर</td> <td>40</td> <td>202</td> <td>1286</td> <td>34 कट्टा 15 धुर</td> <td>11.00</td> </tr> </tbody> </table>	मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा	लगान	हरियापुर	40	202	1286	34 कट्टा 15 धुर	11.00	
मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा	लगान									
हरियापुर	40	202	1286	34 कट्टा 15 धुर	11.00									
25/02/13	<p>मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक <u>25/02/13</u> को उपास्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p>													
25/03/13	<p>अंचलधिकारी फतुहां। अमिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि की अमाबंदी विक्रेतागण के नाम से कायम है। जमीन जी० प्र० आम ३१० प्रासिक ३२-कात से मुक्त है। वर्तमान में दलस कब्जा है। अतः हल्का कर्म०/अंच० नि० के प्रतिवेदन के आधार पर विक्रेतागण श्री सिद्धेश्वर पासवान, श्री कमेश्वर पासवान व श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा को खास सूचना एवं हलस पर आम सूचना जारी कर आपत्ति की गयी है। अभिलेख 120 16/4/13 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>25/03/13</p>												

अं०३० फतुहां

अं०३० फतुहां

P.T.O.

रीज नं० - 25/13-14

हल्का नं० - 03

अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदी रैयत को निर्गत खास सूचना का तामिला प्राप्त/अप्राप्त है एवं महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त/अप्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, अंचल निरीक्षक के अनुमति एवं प्राप्त अनापत्ति के आधार पर राजस्व वसूली के हित में दाखिल खारिज की रवीश्वर दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।

16.04.13
25.04.13